प्रेस नोट
थाना- नवाबाद, जिला-झाँसी

दिनांकः- 10.09.2026

- **झाँसी पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध की जा रही सख्त कार्यवाही,**
- **थाना नवाबाद पुलिस द्वारा AI से फोटो एडिट कर ब्लैकमेल करते हुए अवैध रुपयों की वसूली करने वाली अभियुक्ता को गिरफ्तार किया गया,**
- **कब्जे से 02 मोबाइल फोन व 01 लैपटॉप बरामद किया गया,**
- **गिरफ्तार अभियुक्ता को मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया गया,**

कृपया अवगत कराना है कि अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन, कानपुर श्रीमती अनुपम कुलश्रेष्ठ एवं पुलिस महानिरीक्षक, झाँसी परिक्षेत्र, झाँसी आकाश कुलहरि के मार्गदर्शन तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झाँसी श्री विकास कुमार के कुशल निर्देशन में जनपद झाँसी में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध पुलिस द्वारा की जा रही प्रभावी कार्यवाही के क्रम में आज दिनांक 10.09.2026 को थाना नवाबाद पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 427/26 धारा 308(4)/308(5)/351(3)/329(3)/352 BNS व 67A IT Act से संबंधित वांछित अभियुक्ता- **मरीना लाजरस उर्फ मरीना जेस्सी पुत्री लाजरस उम्र करीब 27 वर्ष, निवासी डोर नं0 402 यारून बिलीस अपार्टमेंट विनोधना कालोनी, हुबली कर्नाटक** को जनपद प्रयागराज से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्ता को मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

संक्षिप्त विवरण –

दिनाँक 02.08.2026 को वादिया द्वारा थाना नवाबाद पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अवगत कराया गया कि अभियुक्ता द्वारा अपने सहयोगियों के साथ मिलकर वादिया व वादिया के परिवारीजन के आपत्तिजनक चित्र को एडिट करके वादिया व वादिया के परिवारीजन के वाट्सएप नम्बरो पर उक्त चित्रो को भेंजकर वायरल करने की धमकी देते हुये 15,00,000/- रूपयों की अवैध मांग की जा रही है जिसपर वादिया द्वारा अभियुक्ता को भिन्न भिन्न दिनांक को विभिन्न माध्यमों से कुल 40,000/- रूपये दिए गए। जिसके बाद अभियुक्ता द्वारा वादिया के घर पर जाकर वादिया से व वादिया के पति से लिये गालीगलौज करते हुये जान से मारने देकर व झूठे मुकदमें में फंसाने की धमकी दी जा रही है।

वादिया से प्राप्त तहरीर के आधार पर दिनांक 02.08.2026 को थाना नवाबाद पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था जिसकी विवेचना प्रभारी निरीक्षक थाना नवाबाद द्वारा की जा रही थी। थाना स्थानीय पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्ता- **मरीना लाजरस उर्फ**

मरीना जैसी पुत्री लाजरस निवासी डोर नं0 402, यारून बिलीस अपार्टमेंट, विनोधना कालोनी, हुबली, कर्नाटक व उसके सहयोगी नाम पता अज्ञात की तलाश लगातार की जा रही थी। जिसकी गिरफ्तारी व तलाश के प्रयासों से दिनांक 09.09.2026 को प्रभारी निरीक्षक थाना नवाबाद द्वारा सर्वलांस सेल जनपद झांसी की टीम की सहायता से प्राप्त लोकेशन के आधार पर अभियुक्ता मरीना लाजरस उपरोक्त को जनपद प्रयागराज से सकुशल गिरफ्तार किया गया। जिसे माननीय न्यायालय जनपद प्रयागराज के समक्ष पेश कर ट्रांजित रिमान्ड प्राप्त किया गया व अभियुक्ता उपरोक्त को जनपद झांसी लाकर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

बरामदगी – 02 अदद मोबाइल फोन व एक अदद लैपटाप

नाम पता अभियुक्त –

मरीना लाजरस उर्फ मरीना जेस्सी पुत्री अज्ञात उम्र करीब 27 वर्ष निवासी डोर नं0 402 यारून बिलीस अपार्टमेंट विनोधना कालोनी, हुबली कर्नाटक

अभियुक्ता का अपराधिक इतिहास –

1. मु0अ0सं0 337/26 धारा 308(3)/61(2)a/351(3) भारतीय न्याय संहिता 2023 थाना नवाबाद जनपद झांसी
2. मु0अ0सं0 427/26 धारा 308(4)/308(5)/351(3)/329(3)/352 BNS व 67A IT Act थाना नवाबाद जनपद झांसी

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. प्र0नि0 श्री रवि श्रीवास्तव थाना नवाबाद जिला झाँसी
2. उ0नि0 श्री नवीन सिंह थाना नवाबाद जिला झांसी
3. म0उ0नि0 संगीता कुमारी थाना नवाबाद जिला झांसी
4. म0उ0नि0 शिवानी तंवर महिला थाना जिला झांसी
5. का0 1710 सद्दाम अली थाना नवाबाद जिला झांसी
6. रि0म0का0 475 रश्मि यादव थाना नवाबाद जिला झांसी
7. रि0म0का0 336 तान्या थाना नवाबाद जिला झांसी
8. सर्वलांस सेल टीम, जनपद झांसी